सदस्य, अतिरिक्त मो.दु.दावा अधिकरण एवं पीठासीन अधिकारी, नेशनल लोक अदालत खण्डपीठ कमांक–7 विजयपुर

क्लैम प्र.क. 12/2022

महावीर .... आवेदक

विरूद्ध

विनोद आदि......................अनावेदकगण

09.09.2023 लोक अदालत

आवेदक महावीर द्वारा श्री डी.के.अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित।

अना.क.–1 व 2 पूर्व से एकपक्षीय।

अना.क.–3 बीमा कंपनी की ओर से श्री एम.डी.शर्मा अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक साक्ष्य हेतु नियत है।

इसी स्तर पर आवेदक एवं अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से राजीनामा/डॉकेट आवेदन पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया है एवं अनावेदक कमांक–3 एवं आवेदक की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राशि 1,55,000/–रूपये आदेश दिनांक से दो माह के अंदर अदा करेगी एवं उक्त समयावधि में राशि अदा नहीं की जाती है तो भुगतान होने तक छः प्रतिशत साधारण व्याज बीमा कंपनी अदा करेगी। आवेदक का क्लेम आवेदन शेष राशि के संबंध में निरस्त समझा जावे तथा अनावेदक कमांक–1 व 2 से कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होगा एवं उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निर्णय प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुना गया। आवेदक द्वारा अनावेदकगण के विरूद्ध 32,00,000/–रूपये की क्षतिपूर्ति हेतु क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदक एवं अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी के मध्य बिना किसी दबाव, धौंस व लोभ लालच के स्वेच्छया पूर्वक राजीनामा होना पाया जाता है एवं आवेदक ने राजीनामा अनुसार राशि 1,55,000/–रूपये में अनावेदक कमांक–3 से राजीनामा होना बताया है। आवेदक अनावेदक कमांक–1 व 2 के संबधं में कोई सहायता प्राप्त नहीं करेगी और राजीनामा विधि संम्वत होने से राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्न अवार्ड पारित किया जाता है :–

1. अनावेदक कमांक–3 बीमा कंपनी को आदेशित किया जाता है कि वह राजीनामा अनुसार आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि 1,55,000/–रूपये आदेश दिनांक से दो माह के अंदर अदा करे।

2. आवेदक को उक्त राशि जमा होने पर उसका भुगतान किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा या नेट बैंकिंग द्वारा किया जावे।

3. बीमा कंपनी द्वारा उक्त राशि समयावधि में अदा न करने पर आदेश दिनांक से भुगतान होने तक छः प्रतिशत साधारण व्याज अदा करेगी।

4. उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

आदेशानुसार व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर विधिवत अभिलेखागार में जमा किया जावे।

(जितेन्द्र शर्मा)	(ज्ञानेन्द्र दीक्षित)	(संदीप श्रीवास्तव)
सदस्य सुलहकर्ता	सदस्य अधिवक्ता	पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रमांक–7	खण्डपीठ क्रमांक–7	खण्डपीठ क्रमांक–7
		विजयपुर, जिला श्योपुर

SANDEEP SHRIVASTAVA

Digitally signed by SANDEEP SHRIVASTAVA
Date: 2023.09.09 13:59:52 +0530